P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-5* ISSUE-5* January- 2018
E: ISSN NO.: 2349-980X Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika

खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली

मंजुलता कश्यप
सहायक प्राध्यापक,
अर्थशास्त्र विभाग,
ठाकुर छेदीलाल शासकीय
स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
जॉजगीर ,छ.ग.

सारांश

वर्ष 1996 में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे लोगों के लिए संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरूआत हुई। जिसके अंतर्गत आज भी गरीबी रेखा से ऊपर जीवनयापन करने वाले लोगों के लिए निर्धारित अनाज के दाम के मुकाबले आधे से भी कम दाम पर अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है। जून 1997 में इस योजना को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Targated Public Distribution System) नाम दे दिया गया। उल्लेखनीय है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बेहतर ढंग से काम करने के कारण पिछले दशक में गरीबी की रेखा से ऊपर उठे लोगों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। अनुमान है कि वर्ष 2004–05 से 2009–10 की अवधि में सार्वजनिक वितरण प्रणाली ने निर्धनता में आई कमी में लगभग 30 प्रतिशत का योगदान किया है। इस संख्या में वे एक करोड़ 70 लाख लोग शामिल नही है जो मध्यान्ह भोजन योजना के फलस्वरूप 2009–10 में गरीबी से उबर चुके थे। गरीबों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कराने के लिए किसी भी मापदंड से यह उल्लेखनीय उपलब्धि है और सुचारू कार्यपद्धति तथा स्वस्थ सार्वजनिक वितरण प्रणाली के महत्व को रेखांकित करती है। वर्तमान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार का सुझाव राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून का मुख्य लाभ है। यदि दायरा निचले 70 प्रतिशत लोगो के बजाय उच्च आय वर्ग को छोडकर सार्वभौमिक होता तो और बेहतर होता।

मुख्य शब्द : खाद्य सुरक्षा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली ।

प्रस्तावना

सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरूआत देश में अंग्रेजो द्वारा वर्ष 1939 से 1942 के दौरान की गई थी। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध के कारण देश में अनाज की भारी कमी हो गई थी। उससे निपटने के लिए अंग्रेज अर्थशास्त्री सर ग्रेगरी ने यह योजना बनाई थी कि बहुतायत में अनाज उगाने वाले राज्यो से अनाज की कमी वाले राज्यों तक राशन पहुँचाने और उसके वितरण की व्यवस्था की जाए। इस योजना को अंग्रेजी सरकार ने डिफेंस इंडिया रूल नामक कानून के अंतर्गत लागू किया था। इस प्रकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली का बुनियादी ढॉचा तब ही से चला आ रहा है। वरिष्ठ अर्थशास्त्री डॉ. कमल नयन काबरा के अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आजादी के बाद आवश्यकता के अनुसार कई बार परिवर्तन किया गया।

हरित क्रांति के बाद रासायनिक खाद, संकर बीजो तथा कीटनाशकों के उपयोग के कारण अनाज महॅगा पड़ता था। इसलिए गरीबो को अनाज रियायती दाम पर देने तथा अनाज की कालाबाजारी पर अंकुश रखने के लिए वेंकटापैया समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने तथा इसे संस्थागत स्वरूप देने की सिफारिश की थी। उनकी सिफारिशो के अनुरूप ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली अपने वर्तमान रूप में विद्यमान है। लोकतंत्र में सामाजिक समानता की स्थापना और गरीबी से लड़ने का एक प्रमुख औजार सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। इसके अंतर्गत समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराई जा सकती है। खाद्य सुरक्षा के लिए देश में अनाज का न्यूनतम भंडार जमा करने की नीति चौथी पंचवर्षीय योजना (1969–74) के दौरान लागू की गई।

भारत मे कृषि आज भी अधिकतर प्रकृति की मेहरबानी पर निर्भर है। इस आशंका से निबटने के लिए न्यूनतम भंडारण व्यवस्थाको आज तक बरकरार रखा गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली केन्द्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी है।

अध्ययन का उद्‌देश्य

1. सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्रियान्वयन पारदर्शी है या नहीं यह देखना।

P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-5* ISSUE-5* January- 2018
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

2. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्य सुरक्षा की स्थिति मजबूत हो रही है या नहीं इसका अध्ययन करना।
3. सार्वजनिक वितरण प्रणाली की चुनौतियों को जानना एवं चुनौतियों के निराकरण के लिए सुझाव देना।

अध्ययन विधि

द्वितीयक समंको पर आधारित।

साहित्यावलोकन

अनंत मित्तल[1] के अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आजादी के बाद आवश्यकताओं के अनुसार कई बार परिवर्तन किया गया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली देश में सामाजिक विषमताओं से लड़ने का महत्वपूर्ण साधन है।

योगेश बंधु आर्य[2] के अनुसार यदि भविष्य में हमे खाद्य सुरक्षा से संबंधित सभी आशंकाओं को निर्मूल साबित करना है तो हमें एक दीर्घकालीन नीति को अमल में लाना होगा।

सुरेश चंद्र बाबू[3] के अनुसार भारत का भूख से मुक्त होना न केवल राष्ट्रीय गौरव की बात है वरन् इससे वैश्विक खाद्य सुरक्षा में भी योगदान किया जा सकता है।

संजीव कुमार मलिक[4] के अनुसार भविष्य में खाद्यान्न सुरक्षा एवं पौष्टिकता के लिए कृषि विविधीकरण, जैविक खेती, बेहतर सिंचाई प्रबंधन तथा कुशल वित्तीय प्रबंधन के सिद्धांतो पर जोर देना होगा।

नवीन पंत[5] के अनुसार अगर विकास दर बढ़ने से गरीबों को कोई लाभ नहीं होता तो इस तरह का विकास निरर्थक है।

संदीप दास[6] के अनुसार खाद्य नीति के अंतर्गत टीपीडीएस को चुस्त–दुरूस्त बनाकर उपभोक्त, मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, अनाज की खरीद, भंडारण और वितरण की व्यवस्था की जा सकेगी।

बृजेश कुमार[7] के अनुसार द्वितीय हरित क्रांति की ओर बढ़ना है जिससे देश के वार्षिक खाद्यान्न उत्पादन को वर्तमान स्तर से दोगुना किया जा सके।

अमरेन्द्र कुमार राय[8] के अनुसार सरकार अगर खाद्यान्न सुरक्षा चाहती है तो उसे किसानों को अनुकूल माहौल उपलब्ध कराना होगा। जन वितरण प्रणाली को मजबूत बनाना होगा तब कही जाकर खाद्यान्न सुरक्षा का महौल बनेगा।

प्रो. के.एम. मोदी[9] ने बताया कि देश में अधिक अन्न उपजाओं, भूमि सुधार कार्यक्रम, चकबन्दी कार्यक्रम, हरित क्रांति जैसे क्रांतिकारी कदमों के कारण देश में कृषि उत्पादन में वृद्धि तथा खाद्य पदार्थों में आत्मनिर्भरता प्राप्त हुई।

गौरव कुमार[10] के अनुसार कृषि क्षेत्र का समग्र विकास और इस पर समुचित ध्यान देकर हम अपनी उत्पादकता बढ़ा सकते है।

अजय कुमार गुप्ता[11] के अनुसार खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के साथ ही सरकार, निवेशकर्ता व धनी वर्ग के लोगों को सार्थक प्रयास करने होंगे अपनी भूमिका को विस्तार देना होगा। पूरी संवेदनशीता से। तभी हम सभी को खाद्य सुरक्षा दे पायेगें।

डॉ. जगदीप सक्सेना[12] के अनुसार आज हमारे देश के अन्न भंडारों में लगातार बढ़ती आबादी को पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराने का सामर्थ्य है। किसी आकस्मिकता से निपटने के लिए अनाज सुरक्षित भंड़ारो में मौजूद है।

वर्ष 1996 में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे लोगों के लिए संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरूआत हुई। जिसके अंतर्गत आज भी गरीबी रेखा से ऊपर जीवनयापन करने वाले लोगों के लिए निर्धारित अनाज के दाम के मुकाबले आधे से भी कम दाम पर अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है। जून 1997 में इस योजना को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Targated Public Distribution System) नाम दे दिया गया।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गरीबी रेखा से ऊपर जीवनयापन करने वाले लोगों के लिए अनाज पर सब्सिडी खत्म कर दिए जाने का एक असर यह हुआ है कि राशन की दुकानों पर अनाज की खपत बहुत घट गई है। जिससे सरकार के भंडारो में अनाज की मात्रा बढ़ती ही जा रही है। जिसका उपयोग अंत्योदय अन्न योजना तथा राष्ट्रीय पोषाहार मिशन में किया जा सकता है। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को रियायती दर पर अनाज उपलब्ध कराया जाता है जिससे गरीबी के बावजूद वे महिलाएँ और उनकी संताने कुपोषण की शिकार न हो।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सरकार का प्राथमिक समाज कल्याण और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम माना जाता है। इसको खाद्यान्न बाजार में मूल्यों में स्थिरता लाने की व्यवस्था के तौर पर प्रारंभ किया गयाथा यह प्रणाली आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में तेजी से गरीबो को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रारंभ की गई। गरीबों की रक्षा, उनके पोषण की स्थिति में सुधार और बाजार मूल्यों पर नियंत्रण इसके लक्ष्य है। सरकार की खाद्य सुरक्षा नीति का यह एक अनिवार्य अंग है, क्योंकि सरकार को लगता है कि खाद्यान्न का उत्पादन और उपलब्धता अपने आप में इतना नहीं है कि सबको भोजन प्राप्त करना सुनिश्चित हो सके और न ही इससे किसी व्यक्ति को उसके उपभोग का अधिकार ही मिलता है। भोजन की क्रय क्षमता भी खाद्य की कोई गारंटी नहीं है। कुशल और दक्ष वितरण प्रणाली के बिना ऐसा संभव नहीं है।

आजादी के बाद हमने प्रगति तो की है, लेकिन समस्याओं पर काबू नही पा सके है। अभी तक हम मनुष्य की बुनियादी समस्या को भी सही ढंग से नहीं सुलझा सके है, वह समस्या है–रोटी। अभी भी देश की पूरी जनता को भरपेट पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाता। आजादी के वक्त तो यह समस्या बहुत ज्यादा गंभीर थी। लोगों का पेट भरने के लिए विदेशों से अनाज आयात करना पड़ता था। सभी लोगों को अनाज मिल सके, इसके लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली विकसित की गई इसका उद्देश्य यह था कि जिनके पास खाद्यान्न खरीदने के लिए कम पैसे है, उन्हे भी यह वस्तुएं कम पैसे में ही मिल सके।

इसके लिए हमें सर्वप्रथम प्रयास खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि का करना था। देश में हरित क्रांति से अब हम निर्यात करने की स्थिति में पहुँच चुके है। इसके बावजूद हमारी समस्याएं कम नहीं हुई है इसके दो कारण है – एक तो बढ़ती हुई जनसंख्या और दूसरी हाल के

वर्षो में कृषि क्षेत्र का लचर प्रदर्शन। जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है उसके अनुरूप खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि नहीं हो रही है। 2008–09 में कृषि उत्पादकता में 1.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ की सहयोगी संस्था खाद्य और कृषि संगठन बार–बार आगाह कर रही है कि भारत में अगर कृषि का यही हाल रहा तो 2017 तक खाद्यान्न मामलां में स्थितियॉ प्रतिकुल हो सकती है। जलवायु परिवर्तन का भी कृषि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

इन सब परिस्थितियों को देखते हुए खाद्यान्न सुरक्षा को लेकर चिंतित होना स्वाभाविक है क्योकि जिस दिन अर्थतंत्र को खाद्यान्नों का आयात करना पड़ेगा, उस दिन देश की जड़े हिल जाएॅगी। सरकार ने दूसरी हरित क्रांति की योजना बनाई है। वर्ष 2007 में 1882 करोड़ रू की लागत से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की सहायता से सरकार खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है।

खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने के साथ ही हमें अपनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली को भी मजबूत बनाना होगा, तब ही हम सभी को खाने के लिए अनाज उपलब्ध करा सकेगें। एक तरफ अनाज भंडारो में सड़ रहे होते है, दूसरी तरह लोग भूखे मर रहे होंते है, क्योंकि अनाज खरीदकर खाने की क्षमता उनमें नही होती। आजकल जिस तरह से मॅहगाई बढ़ रही है उसमें तो बेहतर सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रासंगिक हो गई है।

आर्थिक समीक्षा के अनुसार 51 प्रतिशत सार्वजनिक वितरण प्रणाली का खाद्यान्न काला बाजार में बिक जाता है। इस पर नियंत्रण आवश्यक है।

देश के लिए खाद्यान्न सुरक्षा बेहद आवश्यक है क्योंकि कोई भी व्यक्ति बिना खाए जिन्दा नही रह सकता। लेकिन यह अन्न तब ही मिल सकता है जब किसान जिन्दा रहे और अन्न उपजता रहे। सरकार अगर खाद्यान्न सुरक्षा चाहती है तो उसे किसानों को अनुकूल माहौल उपलब्ध कराना होगा फिर सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाना होगा।

भारत के राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन के अनुमान के अनुसार वर्ष 2050 तक खाद्यान्न के उत्पादन में 18 प्रतिशत की कमी आ सकती हैं। बढ़ते खाद्य संकट के लिए खाद्य मूल्यों में हुई बेतहाशा वृद्धि भी मुख्य कारण है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार खाद्य फसलों के उत्पादन में जहॉ 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है वही अखाद्य फसलों का उत्पादन 4 प्रतिशत तक गया है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार मंहगे कीमत वाले फसलों की मांग बढ़ी है, जबकि भोजन के लिए जरूरी फसलों का उत्पादन घटा है। आर्थिक सर्वेक्षण 2011–12 के अनुसार 2005–06 में खाद्य वस्तुओ की कीमतों में 5.8 प्रतिशत, 2008–09 में 9 प्रतिशत, 2010–11 में 16.75 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई।

समस्याएँ

गरीबों की पहचान करना बेहद कठिन है। इस पहचान प्रक्रिया में छोड़ने की गलतियॉ काफी होती है। झा और राधास्वामी (2012) के अनुसार केवल 30 प्रतिशत गरीब ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ उठा पाते है। उचित मूल्य की दुकानो के मालिक प्रणाली के दोषपूर्ण होने से अंतर्निहित रूप से प्रोत्साहित होकर खुले बाजार में अनाज भेज देते है। जिन राज्यों में मोटे अनाज की पैदावार होती है, वहॉं रियायत वाले अनाज का अंबार लगा दिया जाता है, डंपिंग कर दी जाती है जिससे किसानों को नुकसान होता है।

जब सरकार अनाज की उगाही करती है तब प्रारंभिक फसल भाव का निर्धारण मांग और पूर्ति की शक्तियों के बजाय सरकार द्वारा तय समर्थन मूल्य से होता है। अधिक समर्थन मूल्य की मांग राजनीतिज्ञो के लिए एक आधार क्षेत्र तैयार करने का अवसर देती है। भारत में अधिकतर अनाज (विशेषकर गेहूॅ) की उपज कुछ ही राज्यों मे की जाती है। जिसके परिणाम स्वरूप समर्थन मूल्य का निर्धारण केन्द्र सरकार और राज्यों की सरकारो के बीच मोलभाव से तय किया जाता है। मूल्य तय कराने की किसान लॉबी की ताकत परिस्थितियों के अनुसार बदलती है। जरूरत से अधिक भंडार होने पर किसान लॉबी की ताकत कम हो जाती है। अधिक कीमत के लिए अत्यधिक स्टॉक रखने की प्रवृत्ति है। निश्चय ही दुनिया के उन देशों में समस्याएं कम हुई है जहॉ वस्तु रूप में अंतरण के स्थान पर नकद अंतरण व्यवस्था की गई है। नकद अंतरण योजना लागू करने से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समस्याएं दूर की जा सकती है।

भावी रणनीति

कृषि विशेषज्ञ एम.एस. स्वामीनाथन के अनुसार– विकास एवं जनसंख्या वृद्धि के साथ खाद्य सुरक्षा की बढ़ती आवश्यकता को देखते हुए हरित क्रांति के बाद भारत को अब एक 'सदाबहार क्रांति' की आवश्यकता है। जो देश में आय एवं रोजगार वृद्धि में सहायक हो जिसके लिए हमें अपनी विकास नीति तथा कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में निर्देशात्मक परिवर्तन करने होगें। यह सदाबहार क्रांति कृषि व्यवस्था में ऐसे परिवर्तनों पर आधारित होनी चाहिए, जिससे कि बिना किसी पर्यावरणीय एवं सामाजिक क्षति के उत्पादकों को अधिक भूमि जल एवं श्रम संसाधन उपलब्ध कराया जा सके। वित्त मंत्रालय द्वारा गठित के.पी.गीता कृष्णन कमेटी ने खाद्य सुरक्षा की दशा में सुधार के लिए खाद्य सब्सिडी घटाने, निजी क्षेत्र की भागीदारी तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक गरीबोन्मुखी बनाने पर जोर दिया है।

लंदन से प्रकाशित 'द इकानॉमिस्ट'' के अनुसार विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र संघ को खाद्य समस्या पर नयी दृष्टि के साथ आगे आना चाहिए। चूंकि यह समस्या बहुआयामी है इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी पहल होनी चाहिए।

खाद्य सुरक्षा की सुदृढ़ स्थिति को बनाए रखने के लिए कृषि क्षेत्रो के विस्तार की योजना, उत्पादकता में वृद्धि के प्रयास, मिट्टी के उपजाउपन और उत्पादकता में पुनरूद्वार कार्यक्रम कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर का सृजन, उन्नत प्रौद्योगिकी का प्रयोग समुचित जल प्रबंधन करना, कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रो में किसानों को अधिकतम रिटर्न दिलाना आदि तत्वों को सम्मिलित करके तथा इन तत्वों को ठोस नीतियों व कार्यक्रमों के माध्यम से लागू

P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-5* ISSUE-5* January- 2018
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

करने से देश में खाद्यान्न संकट की स्थिति को दूर किया जा सकता है।

नकद अंतरण प्रणाली दो बुनियादों

नकद वितरण के लिए भुगतान प्रणाली और ऐसी पहचान प्रणाली जो यह सुनिश्चित करे कि लेनदेन लक्षित लाभार्थी के साथ हुआ है, पर आधारित होती है। परम्परागत भुगतान प्रणाली बैंको और डाकघरो पर आधारित है। वित्तीय प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण तथा इंटरनेट और मोबाईल उपकरणों के प्रयोग से यह बाधा खत्म हुई है। अब नीति का जोर लाभार्थी के बचत बैंक खाते या डाकघर खाते में प्रत्यक्ष नकद अंतरण पर है। एक नया उभरता हुआ मॉडल है – बैको (शहरी और जनाधिक्य क्षेत्रो में) और लाभार्थियों (गॉवो में रहने वाले) के बीच माध्यस्थों की सेवा लेने का। बैकिग संवाददाता कहे जाने वाले ये मध्यस्थ इंटरनेट आधारित पोर्टेबल उपकरणों की मदद से धन निकासी और धन जमा कराने की सेवा देते है और वास्तविक समय में कारोबार रिकार्ड किया जाता हैं बायोमेट्रिक पहचान के साथ नकद अंतरण से स्वयं चुनाव का काम और कारगर होगा और इस सार्वभौमिक कवरेज अधिक वहन करने योग्य होगा।

नकद अंतरण की कमी यह है कि खाद्यान्न की कीमतों में उतार चढ़ाव होता रहता है। फलस्वरूप प्रति व्यक्ति निश्चित मात्रा में खाद्यान्न देने की गरीबों के प्रति प्रतिबद्धता आसानी से बरकरार नहीं रखी जा सकती। बाजार कीमतें बढ़ने पर व्यक्ति को जरूरत के अनुसार अनाज खरीदने के लिए रकम कम पड़ जाएगी। इसलिए रियायत रकम का समायोजन खर्चीला काम होगा और पर्याप्त रूप से रकम का समायोजन न किए जाने से गरीब पर भार पड़ेगा।

निष्कर्ष

सार्वजनिक वितरण प्रणाली आज दोराहे पर खडी है। भारत जैसे आर्थिक विषमताओं वाले देश में इस तंत्र की उपयोगिता से कतई इंकार नहीं किया जा सकता। लेकिन यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि राशन का रियायती दर वाला अनाज लाभार्थियों को वास्तव में प्राप्त हो तथाउसकी कालाबाजारी न हो। उदारीकरण के इस युग में बाजारोन्मुखी अर्थव्यवस्था का बोलबाला है और सामाजिक कल्याण एवं समता स्थापित करने वाले कार्यक्रमों पर खर्च होने वाली राशि को लेकर भी अक्सर सवाल उठाए जाते है। ऐसे में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कामकाज को निर्विवाद बनाए रखना और भी आवश्यक है।

इस व्यवस्था की उपयोगिता का ऑकलन लगातार बढ़ रही जनसंख्या के संदर्भ में किया जाना आवश्यक है। जनसंख्या की तीव्र गति से वृद्धि के परिप्रेक्ष्य में खाद्यान्न सुरक्षा पर ध्यान देना जरूरी है। सुप्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन के अनुसार आगामी वर्षो में जनसंख्या वृद्धि तथा साथ साथ गरीबी और भूखमरी में वृद्धि होने के कारण देश की करीब एक तिहाई जनसंख्या का पेट भरने का टिकाउ उपाय सार्वजनिक वितरण प्रणाली ही है।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली देश में गरीबी, भूख, कुपोषण, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं, अशिक्षा और सामाजिक विषमता से लड़ने का महत्वपूर्ण साधन है। इसलिए आज के वंचित और गरीब वर्ग को कल का मध्यम वर्ग बनाने के लिए इसी लाठी का सहारा देना होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. *अनंत मित्तल – सार्वजनिक वितरण प्रणाली की प्रासंगिकता, कुरूक्षेत्र, अक्टूबर 2002, पृ.क्र. 61*
2. *योगेश बंधु आर्य –खाद्य सुरक्षा –वर्तमान परिदृश्य एवं भविष्य की चुनौतिया,कुरूक्षेत्र, फरवरी 2004,पृ.क्र. 7*
3. *क्या आप जानते है – सार्वजनिक वितरण प्रणाली, योजना, जुलाई 2008, पृ.क्र. 31*
4. *सुरेश चंद्र बाबू – खाद्य सुरक्षा में भारत की भूमिका, योजना, जुलाई 2008, पृ.क्र. 13*
5. *संजीव कुमार मलिक – खाद्य सुरक्षा के समक्ष चुनौतियॉं, कुरूक्षेत्र, सितम्बर 2009, पृ.क्र. 13*
6. *नवीन पंत – गरीबी उन्मूलन और खाद्य सुरक्षा, योजना, अक्टूबर 2010, पृ.क्र. 15*
7. *संदीप दास – सार्वजनिक वितरण व्यवस्था– जरूरत पुनर्गठन की, योजना, अक्टूबर 2010, पृ.क्र. 17*
8. *बृजेश कुमार – खाद्य सुरक्षा की सुदृढ़ स्थिति – एक चुनौती, कुरूक्षेत्र, मार्च 2011, पृ.क्र. 12*
9. *अमरेन्द्र कुमार राय – खाद्य सुरक्षा के लिए मजबूत पी.डी.एस., योजना, जनवरी 2012, पृ.क्र. 59*
10. *प्रो. के.एम. मोदी – खाद्य सुरक्षा – चुनौतियॉं और समाधान, कुरूक्षेत्र, मार्च 2012, पृ.क्र. 13*
11. *गौरव कुमार –भारत में खाद्य सुरक्षा, कुरूक्षेत्र, नवम्बर 2013, पृ.क्र. 14*
12. *अजय कुमार गुप्ता – भारत में खाद्य सुरक्षा – अतीत और वर्तमान, योजना, दिसम्बर 2013, पृ.क्र. 61*
13. *डॉ. जगदीप सक्सेना – भारत में खाद्य सुरक्षा – दशा, दिशा और भावी परिदृश्य, कुरूक्षेत्र, फरवरी 2017, पृ.क्र. 5*
14. *सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक व्यापक नजरिया – From इंटरनेट*